



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर, 2022 ई०  
(कार्तिक 26, 1944 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश, शासन

ऊर्जा विभाग

[ ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्या यू०पी०ई०आर०सी०/सचिव/विनियमावली/2022-561

लखनऊ, दिनांक : 17 नवम्बर, 2022 ई०

अधिसूचना

### यू०पी०ई०आर०सी० (दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा) विनियमावली, 2022

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 51 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं धारा 181 (ण) एवं (म) के साथ पठित तथा इस संबंध में सक्षम अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है अर्थात्:-

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक, कार्यक्षेत्र, विस्तार और प्रारंभ :-

- 1.1 इस विनियमावली को "उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग (दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा) विनियमावली, 2022" कहा जा सकता है।
- 1.2 ये विनियमावली पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और राज्य में बिजली के वितरण और आपूर्ति के कारोबार में लगे वितरण अनुज्ञापिधारियों/फ्रेंचाइजी पर लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

## 2. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ :-

- 2.1 शब्द, नियम और अभिव्यक्तियाँ जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है, अथवा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (बाद में "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा नियमों में, समय-समय पर संशोधित और दूरसंचार नेटवर्क, 2022 की सुविधा के लिए इन विनियमावली में प्रयुक्त, का वही अर्थ होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अधिनियम या सुरक्षा नियमों में परिभाषित है।
- 2.2 उपरोक्त के अधीन, यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ जो कि अधिनियम या सुरक्षा नियमों या इस विनियमावली में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, का अर्थ वही होगा जो आमतौर पर विद्युत उद्योग में दिया जाता है।
- 2.3 इस यू0पी0ई0आर0सी0 फ़ैसिलिटेशन ऑफ़ टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क रेगुलेशन, 2022 की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ में अन्य आवश्यक न हो—
- (क) एकवचन या बहुवचन शब्द, जैसा भी मामला हो, में क्रमशः बहुवचन या एकवचन शब्द शामिल माना जाएगा,
- (ख) किसी भी कानून, विनियमावली या दिशा निर्देशों के सन्दर्भ का अर्थ यह लगाया जाएगा कि इसमें ऐसे कानूनों, नियमों या दिशा निर्देशों को समेकित करने, संशोधित करने या बदलने के लिए सभी वैधानिक प्रावधान शामिल हैं, जैसा कि मामला हो सकता है,
- (ग) इस विनियमावली के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
- 2.4 इन विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
- (क) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 है,
- (ख) "आयोग" का अर्थ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।
- (ग) "वितरण परिसंपत्तियाँ: वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिजली के खंभे, वितरण ट्रांसफार्मर, सरकारी भवन आदि जैसी वितरण संपत्तियाँ लेकिन 33 केवी लाइन पर तारों और खंभों/टावरों को छोड़कर।
- (घ) "सकल राजस्व" दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के संबंध में अर्थ है दूरसंचार नेटवर्क की ऐसी सुविधा से अनुज्ञप्तिधारी को अर्जित सकल राजस्व, लेकिन वित्तीय वर्ष में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के मुख्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व नहीं,
- (ई) "दूरसंचार/दुरसंचार कंपनी" कोई भी दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता शब्दों, आवाज, आडियो, छवि, वीडियो मोड, आदि में डेटा के प्रसारण में लगी है और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत है अथवा एक बुनियादी ढांचा जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिजली के खंभों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) लगाने की आवश्यकता होती है।
- (च) "मीटरिंग तंत्र" दूरसंचार नेटवर्क द्वारा सारी बिजली की खपत जो वितरण संपत्तियों पर स्थापित है को स्मार्ट मीटर के माध्यम से स्थापना के बिन्दु पर मीटर किया जाएगा और ऐसी खपत की बिलिंग आपूर्ति संहिता के अनुसार स्थापना के बिन्दु के आधार पर की जाएगी।
- (छ) "समझौता" दूरसंचार कंपनी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बीच, ऐसी वितरण संपत्तियों पर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए, किराए पर लेने और संबंधित सेवाओं के लिए समझौता।

## 3. अन्य व्यवसाय की सूचना :-

- 3.1 वितरण लाइसेंसधारी अपनी वितरण संपत्तियों पर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के बारे में आयोग को सूचित करेगा और एआरआर के माध्यम से वार्षिक आधार पर ऐसी गतिविधियों से प्राप्त आय को आयोग को सूचित करेगा। इस विनियमावली के खंड के अनुसार सूचना देते समय अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा —

- I. अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संपत्तियों के उपयोग की प्रकृति और सीमा, जो दूरसंचार व्यवसाय के लिए उपयोग की जाती हैं या उपयोग करने के लिए प्रस्तावित हैं।
  - II. लाइसेंस व्यवसाय के कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता पर संपत्ति और सुविधाओं के इस तरह के उपयोग का प्रभाव यदि कोई हो
  - III. दूरसंचार कंपनी को वितरण संपत्तियों को किराए पर देने से प्राप्त अथवा अनुमानित वार्षिक राजस्व आय एआरआर में अलग से परिलक्षित करेगा।
  - IV. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण परिसम्पत्तियों को किराए पर देने तथा संबंधित सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के लिए ऑडीटर से प्राप्त प्रमाण-पत्र, टू-अप हेतु टैरिफ याचिका के साथ प्रस्तुत करेगा।
  - V. आयोग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विवरण।
- 3.2 यदि दूरसंचार कंपनी का केबल वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है तो प्रत्येक दूरसंचार कंपनी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति मीटर लम्बाई में केबल का कलर कोड, आकार और वजन अनुमोदित कराना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी दूरसंचार कंपनी के केबल एवं अपनी लाइनों के बीच बनाए रखी जाने वाली समाशोधन दूरी को भी इंगित करेगा। इसी तरह 5जी सहित वायरलेस नेटवर्क के मामले में टेलीकॉम टावर या उपकरण के लिए पोल के इंसुलेटर से सेपटी क्लीयरेंस बनाए रखना होगा।
- 3.3 अनुज्ञप्तिधारी की यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी होगी कि दूरसंचार उद्देश्यों के लिए लाइसेंसिकृत व्यवसाय की संपत्ति और सुविधाओं का उपयोग किसी भी तरह से दायित्वों के प्रदर्शन या लासेंसधारी से अपेक्षित आवश्यक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमावली, 2010, यूपीईआरसी (प्रदर्शन के मानक विनियमावली) 2019, विद्युत आपूर्ति संहिता, या आयोग की किसी अन्य विनियमावली एवं ऐसा कोई भी उपयोग पूरी तरह से अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम पर होगा।

#### 4. सकल राजस्व का निरूपण :-

- 4.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी 5जी नेटवर्क सहित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए अपनी वितरण संपत्तियों को किराए पर दे सकता है और दूरसंचार कंपनी को संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकता है।
- 4.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी दूरसंचार कंपनी के साथ अपने आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर परस्पर सहमत अवधि के लिए किराये और संबंधित सेवाओं के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जिसे वितरण संपत्तियों पर 5जी नेटवर्क को सम्मिलित करते हुये दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए दूरसंचार कंपनी के लाइसेंस की अवधि से अधिक न होने वाली परस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि इस तरह के समझौते में तीन साल में कम से कम एक बार किराया शुल्क में संशोधन का प्रावधान होना चाहिए।
- 4.3 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 5जी नेटवर्क अवसंरचना सहित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना हेतु एक विशेष दूरसंचार कंपनी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्तर पर उसकी कुल वितरण संपत्ति के 50% से अधिक तक पहुंच प्राप्त नहीं कर पाये ताकि प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकने के लिए की जा सके।
- 4.4 दूरसंचार कंपनियों को वितरण परिसंपत्तियों का आवंटन एक पारदर्शी प्रक्रिया/तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।
- 4.5 MYT टैरिफ विनियमावली के तहत दिए गए वर्गीकरण के अनुसार संबंधित टैरिफ आदेश में गैर-टैरिफ आय के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वितरण संपत्ति के किराये और संबंधित सेवाओं से आय का दावा किया जाएगा।
- 4.6 किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में वितरण संपत्तियों को किराए पर देने और संबंधित सेवाओं से दूरसंचार कंपनी से प्राप्त सकल राजस्व से 30% के बराबर राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जाएगी, जबकि शेष 70% को गैर-टैरिफ के रूप में एआरआर में मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के तहत दिए गए वर्गीकरण के साथ शामिल किया जाएगा।

4.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ट्रू-अप के समय टैरिफ याचिका के साथ-साथ वितरण परिसम्पत्तियों को किराए पर देने और संबंधित सेवाओं से उत्पन्न सकल राजस्व के लिए ऑडीटर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

4.8 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय :

- अपनी संपत्ति को किराए पर देने के परिणामस्वरूप अपनी खुद की लाइसेंसशुदा गतिविधि करने के लिए इसके उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध क्षमता की कमी न हो।
- अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति की सुरक्षा से समझौता न किया जाए।
- इसकी संपत्तियों को किराए पर देने से दायित्वों के प्रदर्शन एवं प्रदर्शन के मानक विनियमावली, विद्युत आपूर्ति संहिता, या समय-समय पर संशोधित आयोग के किसी अन्य विनियमावली को सम्मिलित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षित आवश्यक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित न करे।

#### 5. दूरसंचार कंपनी को बिजली संयोजन :-

5.1 यदि 5G नेटवर्क अवसंरचना सहित ऐसे दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के लिए विद्युत संयोजन की आवश्यकता है, तो वितरण संपत्तियों की स्थापना के बिंदु पर दूरसंचार कंपनी को अलग से बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

प्रतिबंध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सुविधा के आधार पर एक वितरण प्रभाग के भीतर सभी वितरण संपत्तियों के लिए संयोजन अनुबंध पर सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि, संयोजन अनुबन्ध में लोकेशन कोऑर्डिनेट या जीपीएस लोकेशन या पोल नंबर या डीटी नंबर या एक डिवीजन के भीतर एक टेलीकॉम कंपनी को आवंटित सब-स्टेशन का नाम शामिल होगा।

5.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण परिसम्पत्तियों पर संस्थापित दूरसंचार नेटवर्क द्वारा समस्त विद्युत खपत की मीटरिंग स्थापना स्थल पर स्मार्ट मीटर के माध्यम से की जायेगी तथा ऐसी खपत की बिलिंग भी स्थापना स्थल पर की जायेगी क्योंकि प्रत्येक बिन्दु पर अलग-अलग संयोजन जारी किये जायेंगे। हालांकि, बिलिंग और संग्रहण की सुविधा के लिए किसी वितरण प्रभाग या समतुल्य के भीतर किसी विशेष दूरसंचार लाइसेंसधारी के सभी कनेक्शनों का समेकित बिल, कनेक्शन वार विवरण के साथ उत्पन्न किया जा सकता है। कनेक्शन और मीटर की लागत दूरसंचार कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।

5.3 ऐसे विद्युत संयोजन या विद्युत के उपयोग से उत्पन्न राजस्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ आय का हिस्सा होगा।

#### 6. आयोग की निहित शक्तियाँ :-

6.1 इन विनियमावली से कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो ऐसे आदेश देने के लिए आयोग की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता है जो कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

6.2 इन विनियमावली में कुछ भी आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया को अपनाने से नहीं रोकेंगा, जो इन विनियमावली के किसी भी प्रावधान के साथ भिन्न हो, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को तय करने के लिए इसे उचित या समीचीन समझता है।

6.3 इन विनियमावली में कुछ भी स्पष्ट रूप से या निहित नहीं है, जो आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है, जिसके लिए कोई विनियमावली नहीं बनायी गई है, और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से इस तरह से निपट सकता है, जैसा कि वह उचित एवं उचित मानता है।

#### 7. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :-

यदि इन विनियमावली के किसी भी प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जैसा कि कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

**8. संशोधन करने की शक्ति :-**

आयोग, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान को बदल, परिवर्तन अथवा संशोधित कर सकता है।

**9. शास्ति :-**

उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली 2019 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, गैर-टैरिफ आय का निरूपण, दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के लिए वितरण संपत्तियों को किराए पर देने से प्राप्त किराये के रूप में आय इस विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार शासित होगी।

आयोग के आदेशानुसार,  
संजय कुमार सिंह,  
सचिव,  
उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग,  
लखनऊ।

**UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

**No. UPERC/Secy./Regulation/2022/561**

*Lucknow: dated November 17, 2022*

**NOTIFICATION****UPERC (FACILITATION OF TELECOMMUNICATION NETWORK) REGULATIONS, 2022.**

In exercise of the power conferred on it by Section 51 read with Section 181(o) and (y) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations namely :-

**1. Short Title, Scope, Extent and Commencement :-**

- 1.1. These Regulations may be called the "UP Electricity Regulatory Commission (Facilitation of Telecommunication Network) Regulations, 2022.
- 1.2. These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh and shall apply on the Distribution Licensees/Franchisees engaged in the business of distribution and supply of electricity in the State.
- 1.3. These Regulations shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

**2. Definitions and Interpretations :-**

- 2.1. Words, terms and expressions defined in the Act, or Safety Rules as specified by the Central Electricity Authority (hereinafter referred to as "Authority"), as amended from time to time and used in these regulations for the Facilitation of Telecommunication Network, 2022, shall have and carry the same meaning as defined and assigned in the said Act and/or Safety Rules as specified by the Authority;
- 2.2. Subject to the above, expressions used herein but not specifically defined in the Act or Safety Rules or in this Regulation shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.
- 2.3. In the interpretation of this UPERC Facilitation of Telecommunication Network Regulations, 2022, unless the context otherwise requires :
  - (a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term respectively;
  - (b) References to any statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;
  - (c) In case of variance between English and Hindi versions of these Regulations, English version shall prevail.